महत्वपूर्ण एवं खास

आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद के लिए 4 अप्रैल तक मंगाए गए आवेदन

रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ ग्रामीण जिला-रायगढ़ के सेक्टर कोलाईबहाल अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भुईयापाली डीपापारा ग्राम पंचायत बेहरापाली में रिक्त सहायिका के 01 पद की पूर्ति हेतु 4 अप्रैल 2025 तक आवेदन पत्र मंगाए गए है। आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति से संबंधित विस्तृत निर्देश व नियम शर्तो की जानकारी परियोजना कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन कर सकते है।

आईटीआई खरसिया में व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए मंगाए गए आवेदन

रायगढ़। मुख्यमंत्री कौशल विकास प्राधिकरण रायगढ़ के तहत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खरसिया में प्रशिक्षण हेतु व्यवसाय-डोमेस्टिक डाटा एन्ट्री आपरेटर हेतु बैच साईज 20, बैच संख्या 1 एवं इलेक्ट्रिशियन डोमेस्टिक सॉल्यूशन हेतु बैच साईज 20, बैच संख्या 1 संचालित होना है। इच्छुक प्रशिक्षणार्थी उक्त दो व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते है। वे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खरसिया में प्रशिक्षण शाखा में आकर प्रशिक्षण संबंधी जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर सकते है।

सीडी कांड : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई की रिवीजन याचिका, 4 अप्रैल को होगी सुनवाई

रायपुर (आरएनएस)। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं, क्योंकि सीबीआई ने उनके खिलाफ अश्लील सीडी कांड में रिवीजन याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई 4 अप्रैल को सीबीआई की विशेष अदालत में होगी। मामले में सभी पक्षों को समन जारी करने की प्रक्रिया जारी है।

सीबीआई ने जिला न्यायालय के फैसले को दी चुनौती- सीबीआई ने 11 मार्च को रायपुर जिला न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए रिवीजन याचिका दाखिल की। सीबीआई ने याचिका में भूपेश बघेल को आरोपित बनाने की मांग की है और दावा किया है कि नए दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जिससे केस की दोबारा सुनवाई जरूरी हो गई है। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद भूपेश बघेल की कानूनी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। यदि विशेष अदालत सीबीआई की याचिका स्वीकार करती है, तो भूपेश बघेल को कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है और मामले की नई सुनवाई शुरू हो सकती है।

गजराजों ने फसलों को किया चट, ग्रामीणों में दहशत

रायगढ़-रायपुर (आरएनएस)। वन परिक्षेत्र में हाथियों ने किसानों की गेहूं और मूंगफली की फसल को चौपट कर दिया है। 2 हाथी रात में 12 किसानों की सब्जी बाड़ी में पहुंच गए। फसल को पैरों से रौंदने लगे। वन विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है। वहीं गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में एक हाथी बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए गर्ल्स हॉस्टल में घुस गया। छात्राओं को पूरी रात दहशत के साए में गुजारनी पड़ी। फिलहाल, वन विभाग हाथी पर निगरानी रखे हुए हैं। रायगढ़ वन परिक्षेत्र के जुनवानी सर्किल में 6 हाथियों का दल विचरण कर रहा है और हर रात किसी न किसी गांव में हाथी पहुंच रहे हैं। मंगलवार की रात हाथी जुनवानी गांव में पहुंच गए। यहां शिव कुमार, छवि कुमार यादव, पंचराम साहू, मनोहर लकड़ा, जलिंधर साहू और जीत राम बारिक की सब्जी बाड़ी में जमकर उत्पात मचाया। जब हाथियों के आने की जानकारी ग्रामीणों को लगी, तो उन्होंने मामले की सूचना वन अमले को दी। इसके बाद वनकर्मी गांव के ग्रामीणों की मदद से हाथियों को भगाने में लग गए, लेकिन देर रात तक हाथी गेहूं, मूंगफली और अन्य सब्जियों की फसल को रौंदते रहे।

चौथी लाइन के लिए रोके जाएंगे 46 ट्रेनों के पहिए

कुछ बदले रूट से चलेंगी

रायपुर । आरएनएस

रेल प्रशासन ने पिछले पांच वर्षों में बिलासपुर से झारसुगुड़ा चौथी लाइन, बिलासपुर से कटनी मुरवारा सेक्शन के बीच पेण्ड्रारोड, अनूपपुर से कटनी तीसरी लाइन, रायपुर से नागपुर के बीच चौथी लाइन का कार्य करने के लिए 7 हजार से अधिक यात्री ट्रेनों के पहियों को रोककर करोड़ों की संख्या में यात्रियों का सफर प्रभावित किया है।

रेलवे के अनुसार अधोसंरचना का कार्य पूरा होने के बाद यात्री गाडियों के आवागमन समय सारिणी के साथ होने पर यात्रियों को सुविधा मिलेगी, लेकिन वर्तमान में यात्री ट्रेनो के रद्द होने से हलाकान हो रहे हैं।

बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन एक महत्वपूर्ण व व्यस्त रेल मार्ग है। इसकी कुल लंबाई 206 किलोमीटर है, जिसे 2100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत रायगढ़ से झारसुगुड़ा सेक्शन में कोतरलिया रेलवे स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने का कार्य 11 से 23 अप्रैल तक किया जाएगा। इस कार्य के कारण कुछ गाडिय़ों का परिचालन प्रभावित होगा और कार्य के पूर्ण होने के बाद गाडिय़ों के परिचालन में गतिशीलता आएगी।

ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

इसमें मुख्य रूप से 11 अप्रैल से 5 मई तक 68861/68862 गोंदिया-झारसुगुड़ा और झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 अप्रैल को 12410 निजामुद्दीन-रायगढ़ गोंड़वाना एक्सप्रेस बिलासपुर से रायगढ़ के बीच और 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23 व 24 अप्रैल को 12409 रायगढ़-निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस रायगढ़ से बिलासपुर के बीच रद्द की जाएगी।

परिवर्तित मार्ग से चलेंगी ये ट्रेनें

इस दौरान परिवर्तित मार्ग से चलने वाली गाडिय़ों में 11 से 24 अप्रैल तक 12810 हावड़ा-मुम्बई मेल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग झार सुगुड़ा-टिटलागढ़, रायपुर होकर, 11 से 24 अप्रैल तक 12809 मुम्बई-हावड़ा मेल एक्सप्रेस रायपुर, टिटलागढ़, झारसुगुड़ा होकर, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23 अप्रैल को 12262 हावड़ा-मुंबई दूरंतो एक्सप्रेस झारसुगुड़ा, टिटलागढ़, रायपुर होकर, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24 अप्रैल को 12261 मुंबई-हावड़ा-दूरंतो एक्सप्रेस टिटलागढ़, झारसुगुड़ा होकर चलाई जाएगी। इसके कारण ट्रेन रायगढ़ से बिलासपुर और बिलासपुर से रायपुर के बीच रद्द रहेगी।

प्रभावती होने वाली ट्रेनें

11 से 24 अप्रैल तक 68737 रायगढ़-बिलासपुर मेमू

11 से 24 अप्रैल तक 68738 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू

10 से 23 अप्रैल तक 68736 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू

10 से 23 अप्रैल तक 68735 रायगढ़-बिलासपुर मेमू

10 से 23 अप्रैल तक 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस

11 से 24 अप्रैल तक 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस

11 से 24 अप्रैल तक 18109 टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस

11 से 24 अप्रैल तक 18110 सुभाषचंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस

16 एवं 23 अप्रैल को 20828 संतरागाछी-जबलपुर एक्सप्रेस

17 एवं 24 अप्रैल को 20827 जबलपुर-संतरागाछी एक्सप्रेस

11, 15, 18, 22, 25 अप्रैल को 17008 दरभंगा एक्सप्रेस

8, 12, 15, 19, 22 अप्रैल को 17007 सिकंदराबाद एक्सप्रेस

12 एवं 19 अप्रैल को 20822 संतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस

14 एवं 21 अप्रैल को 20821 पुणे-संतरागाछी एक्सप्रेस

10, 14, 17, 21 अप्रैल को 12880 भुवनेश्वर-कुर्ला एक्सप्रेस

12, 16, 19, 23 अप्रैल को 12879 कुर्ला-भुवनेश्वर एक्सप्रेस

11 एवं 18 अप्रैल को 22843 बिलासपुर-पटना एक्सप्रेस

13 एवं 20 अप्रैल को 22844 पटना-बिलासपुर एक्सप्रेस

11 एवं 18 अप्रैल को 12870 हावड़ा-मुम्बई एक्सप्रेस रद्द।

13 एवं 20 अप्रैल को 12869 मुम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस रद्द।

9, 10, 16, 17 अप्रैल को 12151 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस

11, 12, 18, 19 अप्रैल को 12152 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस

10 एवं 17 अप्रैल को 22894 हावड़ा-सांईनगर शिरडी एक्सप्रेस

12 एवं 19 अप्रैल को 22893 सांईनगर शिरडी-हावड़ा एक्सप्रेस

11, 12, 18, 19 अप्रैल को 12812 हटिया-एलटीटी एक्सप्रेस

13, 14, 20, 21 अप्रैल को 12811 एलटीटी-हटिया एक्सप्रेस

11 एवं 24 अप्रैल को 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस

11 एवं 24 अप्रैल को 12130 हावड़ा-पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस

11 एवं 24 अप्रैल को 12859 मुंबई-हावड़ा गीतांजली एक्सप्रेस

हावड़ा-मुम्बई गीतांजली एक्सप्रेस 11 एवं 24 अप्रैल को 12860 हावड़

10, 12, 17, 19 अप्रैल को 12222 हावड़ा-पुणे दूरंतो एक्सप्रेस

12, 14, 19, 21 अप्रैल को 12221 पुणे-हावड़ा दूरंतो एक्सप्रेस

9, 10, 16, 17 अप्रैल को 12905 पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस

11, 12, 18, 19 अप्रैल को 12906 शालीमार-पोरबंदर एक्सप्रेस

111, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22 अप्रैल को 12101 एलटीटी-शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस

राशन वितरण में लाखों की अनियमितता, प्रबंधक-विक्रेता गिरफ्तार

बिलासपुर-रायपुर । आरएनएस

शासकीय राशन के वितरण में गड़बड़ी करने वाले प्रबंधक और विक्रेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इन पर 10 लाख रुपये की अनियमितता के आरोप में कार्रवाई हुई है. इस मामले में दो फूड इंस्पेक्टर को भी कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है. यह मामला मस्तूरी के शासकीय उचित मूल्य की दुकान का है. मस्तूरी ब्लॉक में पीडीएस चावल गबन करने के मामले में संचालक प्रबंधक मनोज रात्रे और विक्रेता मनीराम कुर्रे पर सरकारी राशन में गड़बड़ी का आरोप लगा था. खाद्य विभाग ने जांच में दुकान संचालक और विक्रेता पर 10 लाख 82 हजार 720 रूपए की गड़बड़ी का आरोप सही पाया गया था. दरअसल, वर्ष 2024 में शासकीय उचित मूल्य दुकान मस्तूरी आईडी 402002001 के प्रबंधक मनोज रात्रे तथा विक्रेता मनीराम कुर्रे था. उनके द्वारा राशन दुकान में चावल 272.50 क्विंटल कम, शक्कर 3.77 क्विटल अधिक एवं रिफाइंड नमक 8.04 क्विटल अधिक पाया गया. उपरोक्त राशि 1082720.23 है, इस राशि की अनियमितता इनके द्वारा की गई थी. मस्तूरी, रिस्दा, सलौनी और पोड़ी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तहत संचालित राशन दुकान में जांच के दौरान अनियमितता पाई गई थी. इस मामले को लंबे समय से दबाकर रखने के आरोप में दो खाद्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. मस्तूरी में संचालित राशन दुकान के संचालक और विक्रेता पर कार्रवाई की गई वहीं बाकी तीन दुकानों में खाद्यान्न की भरपाई करने का दावा किया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने राजस्व विभाग से भौतिक सत्यापन कराने कहा है।

कलेक्टर ने नई एम्बुलेंस को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

मरीजों के लिए सहायक सिद्ध होंगी एम्बुलेंस

स्व.महेंद्र कुमार मोड़ा की स्मृति में सुयश हॉस्पिटल परिवार रायपुर की ओर से रायगढ़ रेडक्रॉस को प्रदान की गई है नई एम्बुलेंस

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज शाम कलेक्टोरेट परिसर से एक नई एम्बुलेंस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। जो मरीजों के लिए त्वरित चिकित्सा सेवा प्रदान करेगी।

डॉक्टर नितिन गोयल, डायरेक्टर ऑफ सुयश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस प्रायवेट लिमिटेड कोटा गुडियारी रोड, रायपुर द्वारा स्व. महेन्द्र कुमार मोड़ा (महेन्द्र टॉयर) की स्मृति में एम्बुलेंस को भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी शाखा जिला-रायगढ़ को प्रदान किया गया है। जिसकी चॉबी सुयश हॉस्पिटल की संचालक रितु गोयल ने कलेक्टर एवं अध्यक्ष भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, रायगढ़ कार्तिकेया गोयल को सौंपी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव उपस्थित रहे।

कलेक्टर गोयल ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे है। यह एम्बुलेंस मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा होगी। इस एम्बुलेंस के माध्यम से जिले के आसपास क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को त्वरित चिकित्सा सेवा मिलेगी। उक्त एम्बुलेंस रायगढ़ के जिला चिकित्सालय में उपस्थित रहेगी, जहां चौबीसों घंटे मरीजों को सेवा प्रदान करेगी। जिसका संचालन रेडक्रॉस के माध्यम से होगा। रेडक्रॉस सोयायटी शुरू से ही जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करती आ रही है। उन्होंने चर्चा के दौरान कहा कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को एम्बुलेंस सुविधाएं सहज रूप से मिलनी चाहिए, ताकि किसी को असुविधा न हो।

इस अवसर पर रेडक्रॉस के चेयरमेन मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष रामनिवास मोड़ा, संतोष अग्रवाल, सीएमएचओ डॉ.अनिल कुमार जगत, सिविल सर्जन डॉ.दिनेश पटेल, प्रेमनारायण मौर्य, हरेराम तिवारी, सुदीप मोड़ा सहित परिवार के अन्य लोग उपस्थित रहे।

भूतपूर्व सैनिकों के सहयोग हेतु करेंगे हर संभव प्रयास-एडीएम संतन देवी जांगड़े

भूतपूर्व सैनिकों का अनुभव आज की युवा पीढ़ी के मार्गदर्शन के लिए बहुमूल्य-सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव

भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में हुई आयोजित

रायगढ़

कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सृजन सभाकक्ष में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में एडीएम संतन देवी जांगड़े, सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव, डिप्टी कलेक्टर समीर बड़ा, सुभाष त्रिपाठी, आषा त्रिपाठी (शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के माता पिता) एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल आशीष पाण्डेय, भूतपूर्व सैनिकगण, उनके परिवारजन एवं आश्रित उपस्थित रहे।

इस अवसर पर एडीएम संतन देवी जांगड़े ने कहा कि सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति हम सबके भीतर हमेशा सम्मान का भाव रहता है। देश सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर करने जज्बा उन्हें सबसे खास बनाता है। उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण सम्मेलन के माध्यम से जिले के सैनिक परिवारों से मिलने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि सैनिक परिवार कल्याण के सम्बन्ध में जो सुझाव या उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण पूरी प्राथमिकता से किया जाएगा।

सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव ने कहा कि उनका परिवार पीढिय़ों से सेना का हिस्सा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके दादाजी सेना में सूबेदार के पद पर थे और कश्मीर में देश सेवा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। पिताजी एयर फोर्स से रिटायर्ड हैं, ऐसे में सैन्य परिवारों के प्रति विशेष सम्मान है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती रैली का सफल आयोजन कुछ माह पहले किया गया। जिसमें जिला सैनिक कल्याण बोर्ड का भी काफी सहयोग रहा। उन्होंने रिटायर्ड सैनिकों से खास तौर पर आग्रह किया कि अपने आस पास समाज में युवा पीढ़ी को सफल भविष्य निर्माण के लिए मार्गदर्शन दें, जीवन में अनुशासन और फोकस का महत्व बताएं। जिससे वे अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सकें।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल आशीष पाण्डे ने उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों को उनके लिये केन्द्र शासन एवं राज्य शासन से मिलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय में सैनिक विश्राम गृह के लिए भूमि का आबंटन हो गया है। इसके पश्चात निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। उन्होंने सैन्य परिवारों के उपचार के चिकित्सा सुविधा के लिए अस्पताल एम्पेनलमेंट और कैंटीन के संबंध में आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी।

भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल तक

रायपुर । आरएनएस

अग्निवीर भारतीय थल सेना भर्ती के लिए 12 मार्च से 10 अप्रैल तक आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए आज सोमवार को बताया कि सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जो भारतीय सेना की वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन पर उपलब्ध है।

अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनीकी, क्लर्क, ट्रेडमैन (8वीं एवं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण) महिला सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर भर्ती धर्म गुरु, नर्सिंग सहयोगी और सिपाही फार्मा के पदों के लिए जारी की गई है।

सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 मार्च से 10 अप्रैल तक खुली रहेगी। उन्होंने बताया कि अग्निवीर क्लर्क के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा (सीईई) के समय टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। ऑनलाइन परीक्षा (सीईई) जून 2025 के बाद होने की संभावना है। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी और समस्या के लिए सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के टेलीफोन नंबर 0771-2965212 या 0771-2965214 पर संपर्क कर सकते हैं।

कंटेनर वाहन से हो रही थी 500 किलो गांजा की तस्करी

जशपुर-रायपुर । आरएनएस

ओडिशा से एक कंटेनर वाहन में लगभग 500 किलो गांजे की खेप भरकर उसे खपाने के लिए पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश ले जाया जा रहा था। पुलिस को जैसे ही गांजे की खेप ले जाने की सूचना मिली फिर क्या था पुलिस के अधिकारियों की टीम हरकत में आई और पुलिस की टीम ने घेराबंदी की और आईसर कंटेनर वाहन को धर दबोचा और वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 500 किलो गांजा लगभग 1 करोड़ रुपए कीमत गांजे की खेप जप्त कर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिस तरह से कंटेनर वाहन में 500 किलो गांजे की खेप उड़ीसा से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था इससे साफ है कि इस गोरखधंधे में अंतरराज्यीय गिरोह का हाथ है। इससे पहले भी कटघोरा के रास्ते ही उत्तर प्रदेश गांजे की खेप को ले जाया जाता है। पूर्व में पुलिस ने ऐसे ही कई वाहनों को पकडऩे में सफलता भी हासिल की है। वहीं 3 फरवरी को जशपुर जिले के कुनकुरी पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 क्विंटल 26 किलोग्राम गांजा और 2 बाइक जब्त किया गया, जिसकी कीमत 45 लाख रूपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि, दोनों आरोपी कपड़ा फेरी करने के आड़ में तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, कुनकुरी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि, दो युवक कपड़ा फेरीवाला बनाकर लोगों को गांजा बेच रहे है। इसके बाद पुलिस ने नेशनल हाइवे 43 और नारायणपुर थाना क्षेत्र के रानिकोंबो में चेंकिग पाइंट बनाकर वाहनों की चेंकिग की जा रही थी, तभी दो युवक अलग-अलग बाइक में बंडल नुमा कंबल बांध जा रहे थे, जो देखने में फेरी वाला जैसे लग रहा था। पुलिस को संदेह होने पर जब बाइक सवार युवक से पूछताछ की गइ्र, तो उसने अपना नाम मध्यप्रदेश निवासी जितेंद्र सिंह बताया और चतरा झारखंड जाने की बात कही। जब बाइक में बंधे सामान के बारे में पूछा गया, तो वह घबराकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। जब मोटर साइकल में बंधे सामान की तलाशी ली गई। उनके पास रखे टीन के डब्बे में भूरे रंग की प्लास्टिक टेप से लिपटा 24 नग गांजा पैकेट मिला, जिसका वजन 53 किलो था। बाजार में इसकी कीमत लगभग 19 लाख रूपए बताई जा रही है।

24 मार्च अंतिम तिथि तक वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित समस्त देयक कोषालयों/उप कोषालयों में होंगे जमा : भारतीय रिजर्व बैंक का ई-कुबेर पोर्टल भी 29 एवं 30 मार्च को रहेगा खुला

शासकीय जमा संबंधी वित्तीय संव्यवहारों के निष्पादन हेतु 29 मार्च शनिवार एवं 30 मार्च रविवार को शासकीय अवकाश के दिन भी समस्त कोषालय एवं उप कोषालय रहेंगे खुले

रायगढ़

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर द्वारा कोषालयों/ उप कोषालयों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से संबंधित देयक स्वीकार करने एवं ई-कुबेर के माध्यम से ऑनलाईन पेमेन्ट के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। जिसके तहत वर्ष 2024-25 से संबंधित समस्त देयक कोषालयों/ उप कोषालयों में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 24 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। एसएनए-स्पर्श से संबंधित समस्त भुगतान के लिए देयक स्वीकृति की अंतिम तिथि 27 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि के पश्चात देयक ekoshonline.cg.nic.in/eBill एवं ई-पेरोल संबंधी देयक ekoshonline.cg.nic.in/epayroll Module में दिनांक 28 मार्च 2025 तक नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए, जमा किए जा सकेंगे। 24 मार्च 2025 तक कोषालय/ उपकोषालय द्वारा स्वीकार किए गए देयकों पर ली गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा।

वित्त विभाग द्वारा 24 मार्च 2025 के पश्चात यदि कोई सहमति/ स्वीकृति जारी की गई है तो उन प्रकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। भारत सरकार से प्राप्त राशि (शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अथवा केवल केन्द्रांश की राशि)से संबंधित देयकों एवं विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय/ निवास कार्यालय से संबंधित प्राप्त देयकों/ उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित देयकों पर भी उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। समस्त कोषालय/ उपकोषालय अधिकारी उक्त तिथि तक प्राप्त समस्त देयकों का निराकरण 30 मार्च 2025 तक सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोषालय/ उप कोषालय अधिकारी 24 मार्च 2025 को प्राप्त अंतिम देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक)का प्रकार, बीटीआर क्रमांक तथा देयक राशि वित्त विभाग को मेल आईडी financedept.cg@gov.in पर उक्त दिवस के कार्यालयीन समय के तुरंत बाद अवगत करायेंगे। 26 से 30 मार्च 2025 तक कोषालयों/ उप कोषालयों द्वारा किए गए भुगतान की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार 30 मार्च को अपरान्ह 5.30 बजे तक अनिवार्यत: वित्त विभाग को मेल द्वारा उपलब्ध करायी जाए।

मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं विधायकों के स्वेच्छानुदान मद से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कार्य विभागों एवं वन विभाग के संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन पेमेंट फाईल का जनरेशन 24 मार्च 2025 अपरान्ह 5.30 बजे के पश्चात न किया जाए। अत्यावश्यक प्रकरण में ekoshonline.cg.nic.in/ebillworks सहमति पश्चात ही ऑनलाईन भुगतान किया जा सकेगा। 28 मार्च 2025 तक कोषालयों/ उप कोषालयों में लगाए जाने वाले देयकों को पारित करने एवं शासकीय जमा संबंधी वित्तीय संव्यवहारों के निष्पादन हेतु 29 मार्च 2025 शनिवार एवं 30 मार्च 2025 रविवार को समस्त कोषालयों/ उप कोषालयों को खुला रखा जाए। भारतीय रिजर्व बैंक का ई-कुबेर पोर्टल 29 मार्च 2025 शनिवार एवं 30 मार्च 2025 रविवार को खुला रहेगा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480